संख्याः1/2018/1131/आठ-1-17-08**विविध/**2016

प्रेषक,

डा0 **अनूप चन्द्र पाण्डेय**,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- **समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।**
2- **समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।**
3- **आवास आयुक्त, उ**0**प्र**0 **आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।**
4- **समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उ**0**प्र**0**।**
5- **समस्त नगर आयुक्त, उत्तर प्रदेश।**

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 **लखनऊ दिनांक 11 जुलाई**, 2018

विषय:प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक अर्फोडेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक अर्फोडेबल हाउसिंग इन पार्टनशिप के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-1855/**आठ-**1-17- 80**विविध/**2010 **लखनऊ दिनांक** 05 **सितम्बर**, 2017 **द्वारा उ**0**प्र**0 **आवास एवं विकास परिषद को** 30000 **तथा विकास प्राधिकरणों को** 70,000 **दुर्बल आय वर्ग के भवन निर्माण का लक्ष्य दिया गया था। शासनादेश संख्या-**986/**आठ-**1-18-80**विविध/**2010, **दिनांक** 26 **जून**, 2018 **द्वारा वित्तीय वर्ष** 2018-19 **से** 2020-21 **तक आवास विकास परिषद हेतु** 1.20 **लाख तथा विकास प्राधिकरण हेतु** 2.80 **लाख कुल** 4.00 **लाख दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, अभिकरणवार लक्ष्य संलग्न है।**

2- **प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की सफलता भूमि के समयान्तर्गत एवं सही लोकेशन के चयन पर पूर्णतया आधारित है। प्रधानमंत्री आवास योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु सम्यक विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिया गया है:-**

(1) **प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत अभिकरणों को निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति का गठनः-**

1	**जिलाधिकारी**	-	**अध्यक्ष**
2	**उपाध्यक्ष, सम्बन्धित विकास प्राधिकरण/**		
	अपर आवास आयुक्त/सचिव, आवास विकास परिषद	-	**उपाध्यक्ष**
3	**नगर आयुक्त, संबंधित नगर निगम/अधिशाषी अधिकारी, संबंधित नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत**	-	**सदस्य**
4	**सम्बन्धित उपजिलाधिकारी, जहां भूमि स्थिति है**	-	**सदस्य संयोजक**
5	**सम्बन्धित विकास प्राधिकरण/परिषद के अधिशाषी अभियन्ता**	-	**सदस्य**
6	**स्थानीय आवश्यकतानुसार जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी**	-	**सदस्य**

2(2) **योजना के लिए चयनित भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी की नही होगी, बल्कि इसके लिए नजूल, अर्बन सीलिंग की सरप्लस भूमि, ग्राम समाज की भूमि, नगर निगम की भूमि, स्थानीय निकायों की भूमि, राजकीय-आस्थान एवं अन्य सरकारी विभागों यथा-लोक निर्माण विभाग व सिंचाई विभाग की अनुपयुक्त पड़ी भूमि तथा विकास प्राधिकरणों/आवास एवं विकास परिषद की भूमि का उपयोग किया जायेगा। योजना हेतु चिन्हित की जाने वाली सभी प्रकार की भूमि संबंधित संस्था/विभाग द्वारा अनिवार्य रूप से निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी तथा तद्नुसार अपने अभिलेखों में भी दर्ज किया जायेगा। योजना हेतु भूमि का चयन निर्धारित समयान्तर्गत एवं उपयुक्त स्थान (लोकेशन) पर किया जायेगा। संबंधित अभिकरण द्वारा उक्त भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।**

2(3)**(क) नजूल अथवा अन्य प्रकार की भूमि के अन्तरण के संबंध में विभिन्न प्रवृत्त शासनादेशों में विहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ख) संबंधित अभिकरण यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रकरण से संबंधित किसी मा0 **न्यायालय अथवा सक्षम स्तर का अन्यथा आदेश नहीं है।**

http://shasanadesh.up.nic.in

(ग)विक्रय अथवा अन्य रीति से अन्तरण की दशा में सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(घ) संबंधित अभिकरण को पट्टे पर अन्तरण की दशा में 30-30 वर्ष के दो मध्यवर्ती नवीनीकरण सहित कुल 90 वर्ष की लीज अवधि हेतु एक रूपये के सांकेतिक प्रीमियम पर हस्तान्तरित की जायेगी।
(ड.)प्रधानमंत्री आवास योजना में भवन निर्माण हेतु समिति द्वारा यदि लोक निर्माण विभाग की कोई अनुपयुक्त भूमि चिन्हित होती है, तो लोक निर्माण विभाग की सहमति प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

3- उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,
डा0 अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव

संख्या व दिनांकः तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, मां0 मुख्य मंत्री जी, उ0 प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण, ऊर्जा, बेसिक शिक्षा, सिंचाई, समाज कल्याण, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पिछडा वर्ग कल्याण, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, खाद्य एवं रसद, लघु उद्योग, खादी ग्रामोद्योग, दुग्ध विकास, अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास निगम तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/न्याय/सूचना, उ0 प्र0 शासन।
4. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
7. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0 प्र0 लखनऊ।
9. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
10. विशेष कार्याधिकारी सूचना, मा0 मुख्य मंत्री जी उ0 प्र0 शासन।
11. समस्त संयुक्त/उप विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
14. समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत (द्वारा जिलाधिकारी)
15. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या : 986 / आठ–1–18–80विविध / 2010

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त,** उ0प्र0।
2. **आवास आयुक्त,** उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद उ0प्र0, लखनऊ।
3. **समस्त जिलाधिकारी,** उ0प्र0।
4. **समस्त उपाध्यक्ष,** विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांक :26 जून, 2018**

विषयः प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग–इन पार्टनरशिप मद के अन्तर्गत प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्ग हेतु भवनों का निर्माण।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1855 / आठ–1–17–80विविध / 2010, दिनांक 05 सितम्बर, 2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश में अफोर्डेबल हाउसिंग इन–पार्टनरशिप में ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों के निर्माण के संबंध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीनस्थ अभिकरणों द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में 01 लाख भवनों के निर्माण के लक्ष्य का फॉट संलग्न कर प्रेषित किया गया था।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 हेतु ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों के निर्माण हेतु अभिकरणवार निम्नवत लक्ष्य निर्धारित किया गया है :–

(संख्या–हजार में)

क्रमांक	अभिकरणवार का नाम	वित्तीय वर्ष 2018–19	वित्तीय वर्ष 2019–20	वित्तीय वर्ष 2020–21	योग
1	2	3	4	5	6
1	आवास विकास परिषद	45	60	15	120
2	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	13.5	18	4.5	36
3	कानपुर विकास प्राधिकरण	15	20	5	40

B/Awas-1/Vvidh/G.O.18

4	लखनऊ विकास प्राधिकरण	18	24	6	48
5	आगरा विकास प्राधिकरण	15	20	5	40
6	इलाहाबाद विकास प्राधिकरण	9.75	13	3.25	26
7	मेरठ विकास प्राधिकरण	3	4	1	8
8	मुरादाबाद विकास प्राधिकरण	7.5	10	2.5	20
9	अलीगढ़ विकास प्राधिकरण	4.5	6	1.5	12
10	बरेली विकास प्राधिकरण	1.5	2	.5	4
11	गोरखपुर विकास प्राधिकरण	2.25	3	.75	6
12	मथुरा–वृन्दावन वि0 प्राधिकरण	2.25	3	.75	6
13	वाराणसी विकास प्राधिकरण	2.25	3	.75	6
14	बांदा विकास प्राधिकरण	.75	1	.25	2
15	बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण	.75	1	.25	2
16	फैजाबाद विकास प्राधिकरण	.75	1	.25	2
17	फिरोजाबाद विकास प्राधिकरण	1.2	1.6	.4	3.2
18	हापुड़–पिलखुवा वि0 प्राधिकरण	1.2	1.6	.4	3.2
19	झांसी विकास प्राधिकरण	.75	1	.25	2
20	मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण	.75	1	.25	2
21	रायबरेली विकास प्राधिकरण	.75	1	.25	2
22	सहारनपुर विकास प्राधिकरण	.75	1	.25	2
23	उन्नाव विकास प्राधिकरण	.75	1	.25	2
24	रामपुर विकास प्राधिकरण	.75	1	.25	2
25	उरई विकास प्राधिकरण	.75	1	.25	2
26	खुर्जा विकास प्राधिकरण	0	0	0	0
27	आजमगढ़ विकास प्राधिकरण	.3	.4	.10	0.8
28	बागपत–बड़ौत खेकड़ा वि0 प्रा0	.15	.2	.05	0.4
29	बस्ती विकास प्राधिकरण	.15	.2	.05	0.4
	योग	**150**	**200**	**50**	**400**

3– कृपया उपर्युक्त लक्ष्य के अनुसार ई0डब्लयू0एस0 भवनों के निर्माण का कार्य सुनिश्चित कराने तथा कृत कार्यवाही से आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव।

E:/Awas-I/Yadav/D.O.18

संख्याः–986 (1)/आठ–1–18, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, उ0प्र0 शासन को 61 महत्वपूर्ण प्राथमिकता के कार्यक्रम में सम्मिलित करते हुए मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु।
5. निदेशक, सूडा, उ0प्र0, लखनऊ।
6. समस्त अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण।
7. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0।
8. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0।
9. समस्त अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

26/6/2024

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव।